संख्या-15/2018-844/58-2018-60/2018

प्रेषक,

आर0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 26 मार्च, 2018**

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2415-80-004-06-प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र योजनान्तर्गत वेतन भत्तों की मदों में हो रही बचतों के सापेक्ष इसी योजना के 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय, 09-विद्युत देय, 10-जलकर एवं 49-चिकित्सा व्यय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0-19.49 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-293/बजट/2017-18, दिनांक 10.03.2018 के संदर्भ में एवं शासन के पुनर्विनियोग सं0-आर.ई.-561/ई-1/दस-2018, दिनांक 21.03.2018 पृष्ठांकन स0-675/58-2018-60/2018, दिनांक 23.03.2018 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2415-80-004-06-प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र योजनान्तर्गत वेतन भत्तों की मदों में हो रही बचतों के सापेक्ष इसी योजना के 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय, 09-विद्युत देय, 10-जलकर एवं 49-चिकित्सा व्यय मद में व्यवस्थित धनराशि रू0-19.49 लाख (रूपये-उन्नीस लाख उन्चास हजार) मात्र को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

(5) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियंत्रक इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(7) भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

(10) यदि विभाग द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का विचलन किया जाता है, तो उसके लिए निदेशक, उद्यान/मिशन उद्यान तथा वित्त नियंत्रक उद्यान विभाग एवं सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान सीधे उत्तरदायी होंगे।

(11) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित प्रत्येक माह के 10 तारीख तक शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

(12) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2415-80-004-06-प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र योजनान्तर्गत वेतन भत्तों में हो रही बचतों के सापेक्ष इसी योजना के 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय, 09-विद्युत देय, 10-जलकर एवं 49-चिकित्सा व्यय मद में धनराशि रू0-19.49 लाख उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- उक्त धनराशि को पुनर्विनियोग के निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप पत्र सं0-08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 एवं शासनादेश सं0-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक 20.11.2017 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या-15/2018-844(1)/58-2018, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।

(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158) प्रपत्र बी0एम0-9

अनुदान संख्या व नाम-10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) वित्तीय वर्ष-2017-18

(धनराशि लाख रुपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80-सामान्य-004-अनुसंधान-06-प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र					
01-वेतन	1120.47	19.49	19.49	19.49	1100.98
योग-	**1120.47**	**19.49**	**19.49**	**19.49**	**1100.98**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु अवमुक्त धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80-सामान्य-004-अनुसंधान-06-प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र					
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.20	1.40	0.20	0.20	1.40
09-विद्युत देय	8.00	17.38	9.38	9.38	17.38
10-जलकर/जलप्रभार	0.20	0.63	0.43	0.43	0.63
49-चिकित्सा व्यय	4.20	13.68	9.48	9.48	13.68
योग-	**13.60**	**33.09**	**19.49**	**19.49**	**33.09**

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

(1) योजनान्तर्गत पदों के रिक्तता के कारण बचत हो रही है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय मांग के अनुरूप आय-व्ययक में प्राविधान न होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या-आर.ई. 561/ई-1/दस-2018, दिनांक 21 मार्च, 2018

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0शासन।

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।

उत्तर प्रदेश शासन
उद्यान अनुभाग
संख्या– 675 / 58–2018–60 / 2018
लखनऊः दिनांक 23 मार्च, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :–

(1) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1
(6) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।